बिहार सरकार,

कृषि विभाग।

पत्र संख्या–NHM/BHDS–195/2015 5126 /कृ. पटना, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वाराः वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय **कृषि रोड मैप के अधीन राज्य योजनान्तर्गत आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹108.8168 लाख (एक करोड़ आठ लाख इक्कासी हजार छह सौ अस्सी रूपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन हेतु सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए ₹90.31794 लाख (नब्बे लाख एकतीस हजार सात सौ चौरानवे रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार कृषि रोड मैप के अधीन राज्य योजनान्तर्गत आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹108.8168 लाख (एक करोड़ आठ लाख इक्कासी हजार छह सौ अस्सी रूपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन हेतु सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए ₹90.31794 लाख (नब्बे लाख एकतीस हजार सात सौ चौरानवे रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ करने की योजना शामिल है।

3. उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में बीज गुणन प्रक्षेत्र, अस्थवां, स्कूल प्रक्षेत्र, राजगीर, प्रोजनी नर्सरी, जलालपुर, प्रोजनी नर्सरी, पटोरी, प्रोजनी नर्सरी, शाहकुण्ड एवं प्रोजनी नर्सरी, अररिया स्थित सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों के कुल 33.50 हेक्टेयर में आलू बीज उत्पादन हेतु ₹100.50 लाख, प्रजनक बीज के परिवहन के लिए ₹1.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रोजनीबाग जलालपुर, सारण में लंबित अभिश्रव के लिए ₹0.2224 लाख तथा प्रोजनीबाग अररिया में लंबित अभिश्रवों के लिए ₹7.0944 लाख व्यय की स्वीकृति दी गयी है। कार्यक्रम का विवरण अनुसूची–1 संलग्न है।

4. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल राशि ₹90.31794 लाख (नब्बे लाख एकतीस हजार सात सौ चौरानवे रूपये) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि –कर्म– लघुशीर्ष–103–बीज, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0109– बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड–P2401001030109 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5682 विषय शीर्ष 27 01–लघु कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि ₹40.00 करोड़ रूपये से विकलनीय होगा।

5. उक्त योजना के लिए अनुसूची–1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार स्वीकृत राशि की निकासी अपने से संबंधित कोषागार से कर सकेंगे। प्रजनक बीज के क्रय/परिवहन मद में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

6. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 23.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– NHM/BHDS–195/2015 के पृ०सं०–01/टि० पर दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS–195 / 2015 के पृ०सं०–02 / टि० पर दिनांक 07.10.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5126 / कृ०, पटना, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5126 / कृ०, पटना, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5126 / कृ०, पटना, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा / कोषागार पदाधिकारी, सारण / कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर / कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर / कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5126 / कृ०, पटना, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग) / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक / संयुक्त निदेशक (उद्यान) / संबंधित जिला एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा / सारण / समस्तीपुर / भागलपुर / अररिया / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं उद्यान निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि प्रक्षेत्रों में आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का विवरणः–

क्र० सं०	प्रक्षेत्र / मद का नाम	जिला	रकवा (हे० में)	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	अस्थावां	नालन्दा	5.00	15.0000	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा।
2	राजगीर	नालन्दा	6.00	18.0000	
योगः– (1+2)			**11.00**	**33.0000**	
3	जलालपुर	सारण	9.00	27.0000	सहायक निदेशक उद्यान, सारण।
4	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लंबित अभिश्रव के भुगतान हेतु	सारण	–	00.2224	
योगः– (3+4)			**9.00**	**27.2224**	
5	पटोरी	समस्तीपुर	4.00	12.0000	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर।
6	शाहकुण्ड	भागलपुर	4.000	12.0000	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर।
7	अररिया	अररिया	5.50	16.5000	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया।
8	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लंबित अभिश्रवों के भुगतान हेतु	अररिया	–	7.0944	
योगः– (7+8)			**5.50**	**23.5944**	
9	प्रजनक बीज का क्रय / परिवहन	–	–	1.0000	निदेशक उद्यान, बिहार।
सकल योगः–			**33.50**	**108.8168**	

(मो० एक करोड़ आठ लाख इक्कासी हजार छह सौ अस्सी रूपये मात्र)

(प्रभु राम)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।